

NEWS LETTER

February 2021



M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
JABALPUR

Court Based Legal Services Mediation

Online Dispute Resolution

“Community Mediation Training”

“Online Mediation Training of volunteers “Kshatriya Community”
(03.02.2021-12.02.2021)

The occasion of Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee is a very important step towards encouraging access to mediation. The programme commenced through online mode today extending to participants of Muslim Community in 08 districts viz. Jabalpur, Gwalior, Bhind, Morena, Khandwa, Indore, Jabalpur, Bhopal, Shivpuri and Ujjain.

Mediation as very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

The topics of the programme included negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh, Member-Secretary MPSLSA & Mr. Rajiv Karmahe- Secretary, HCLSC Jabalpur while as resource person Ms. Neena Khare and Dr. O.P. Raichandani Psychiatrist, Medical College Jabalpur also shared their valuable inputs.

The valedictory session was attended by the Secretaries of DLSA who shall be responsible for extending logistic support & assistance apart from monitoring activities of these centres. The trained volunteers of the community shall set up Community Mediation Centres at the community level and resolve disputes amicably.



Online Training to Members of Kshatriya Community

Online Dispute Resolution “Community Mediation Training” “Online Mediation Training of volunteers “Bengali Community” (18.02.2021-27.02.2021)

Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee extending to participants of Bengali Community from district **Jabalpur** concluded on 27.02.2021.

Mediation a very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

The topics of the programme included negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh, Member-Secretary MP SLSA & Mr. Rajiv Karmahe- Secretary, HCLSC Jabalpur while as resource person Ms. Arti Sharma and Dr. O.P. Raichandani Psychiatrist, Medical College Jabalpur also shared their valuable inputs. During the session Law intern students were also imparted basic mediation orientation skills.

The valedictory session was attended by the Secretary of DLSA Jabalpur Shri Sharad Bhamkar who shall be responsible for extending logistic support & assistance apart from monitoring activities of these centres. The trained volunteers of the community shall set up Community Mediation Centres at the community level and resolve disputes amicably.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-02-28 | Page-4
ehitavada.com

MP SLSA holds online community mediation

■ Legal Correspondent

ONLINE Community Mediation Programme for 20 hours taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee extending to participants of Bengali Community from district Jabalpur concluded on Saturday.

Mediation a very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the legal services institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

The topics of the programme

included negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Giribala Singh, Member-Secretary MP SLSA and Rajiv Karmahe, Secretary, HCLSC, Jabalpur, while as resource person Arti Sharma and Dr O P Raichandani Psychiatrist, Medical College Jabalpur, also shared their valuable inputs. During the session law interns were also imparted basic mediation orientation skills. The valedictory session was attended by the Secretary of DLSA Jabalpur Shri Sharad Bhamkar who shall be responsible for extending logistic support & assistance apart from monitoring activities of these centres. The trained volunteers of the community shall set up Community Mediation Centres at the community level and resolve disputes amicably.

The programme concluded with the singing of the national anthem.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd



Online Training to Members of Bengali Community

Success Stories of Mediation and Pre Litigation Mediation

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण क्रमांक को मध्यस्थता हेतु रेफर किया गया। जिसमें दिनांक 23.12.2019 को माधवपुरा पुलिस थाना झाबुआ में आरोपीगण ने फरियादी को गाली-गलोच कर मारपीट करके जान से मारने की धमकी दी थी। जिसकी फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना झाबुआ द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण पश्चात् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले को मध्यस्थता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ को रेफर कर भेजा गया। जहां से विशेष न्यायाधीश को मध्यस्थता हेतु मामला भेजा गया। मध्यस्थता केन्द्र में फरियादी एवं आरोपीगण की सुहल-समझौता वार्ता कराई गई। उभयपक्षों को पृथक-पृथक एवं संयुक्त रूप से राजीनामा हेतु समझाईस दी गई। जिसके उपरांत पक्षकारों ने आपस में भाई बंदी एवं पड़ोसी का रिश्ता बताते हुये एक-दूसरे को गले लगाकर भविष्य में शांतिपूर्वक रहने और सद्भाव कायम रखने का वचन दिया एवं सफल मध्यस्थता द्वारा मामले का निराकरण किया गया।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास

जिला प्राधिकरण देवास द्वारा लगाए जा रहे विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से जागरूक होकर एक आवेदिका ने स्वयं उपस्थित होकर मध्यस्थता केन्द्र देवास में अपने पारिवारिक विवाद के निराकरण हेतु वादपूर्व मध्यस्थता अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। सचिव जिला प्राधिकरण देवास द्वारा उक्त मामले में अनावेदकगण को वादपूर्व मध्यस्थता हेतु सूचना पत्र जारी किए गए। आवेदक पक्ष की ओर से महिला एवं उसकी माता तथा अनावेदक पक्ष की ओर से महिला का पति, ससुर एवं जेठ उपस्थित हुए। दोनों पक्षों के उपस्थित होने पर मध्यस्थ द्वारा वाद-पूर्व मध्यस्थता के अंतर्गत मध्यस्थता की कार्यवाही की जाकर दोनों पक्षों के साथ एकल एवं संयुक्त बैठकें आयोजित की गईं। मध्यस्थ द्वारा लगभग दो साल से अलग रह रहे पति-पत्नी को उनके आपसी एवं परिजनों के मनमुटाव को दूर कर एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके फलस्वरूप दोनों पति-पत्नी ने संयुक्त रूप से अपने एवं परिजनों के मध्य उत्पन्न विवाद को भुलाकर साथ रहने का निर्णय किया एवं पति अपनी पत्नी एवं बच्चे को साथ लेकर खुशी-खुशी अपने घर गए।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम

आवेदिका श्रीमती रजिया अली पति श्री जोएब अली बोहरा द्वारा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदिका द्वारा बताया गया कि जुजर पिता श्री असगर अली बादशाह द्वारा बाजना बस स्टेण्ड पर अली एल्यूमिनियम फेब्रीकेशन के नाम से संचालित दुकान का किराया आवेदिका को नियमानुसार भुगतान नहीं कर रहा है। आवेदिका द्वारा किराया मांगने पर भी किराया नहीं दे रहा है तथा आवेदिका को गुमराह कर रहा है। आवेदिका द्वारा कई बार उक्त दुकानदार को दुकान खाली करने के लिए भी कहा गया पर वह दुकान खाली नहीं कर रहा है, न ही किराया दे रहा है। जिससे आवेदिका द्वारा विवश होकर पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम में उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही की गई। जिस पर कार्यवाही स्वरूप अनावेदक को सूचना पत्र भेजकर इस कार्यालय में बुलाया गया। उसने व्यक्त किया की किराया आवेदिका के पति श्री जोएब अली स्वयं को मकान मालिक बताकर प्राप्त कर रहे हैं। आवेदिका के पति ने भी स्वतः उपस्थित होकर किराया प्राप्त करना स्वीकार किया। पति-पत्नी में विवाद होने से आवेदिका के स्वत्व के आधार पर उभयपक्षों को समझाया गया तथा नवीन किरायानामा लिखवाकर 4500/-मासिक किराये के लिए अनुबंध कराया गया। उभयपक्ष उक्त राजीनामे से संतुष्ट एवं सहमत है तथा भविष्य में इस राजीनामे का पालन करेंगे। इस प्रकार एक मकान मालिक तथा किरायेदार के मध्य उत्पन्न विवाद का मध्यस्थता द्वारा स्वैच्छया एवं परस्पर समझौते से वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीक द्वारा संतुष्टिपूर्वक समाधान किया गया।



शुभारंभ - सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र पासी समाज - बुरहानपुर



Mediation Awareness Programme

DLSA JABALPUR

A mediation Programme was organised on 18 february in DLSA Jabalpur. In this programme principal judges of family courts, Secretary, Dlsa and DLAO and many of law students were present.

In this programmme participants were apprised about the process of Mediation, difference between Pre-

litigation and Mediation in Court annexed matters. Apart from above the questions raised by the students were answered by Secretary DLSA.



Trained mediators addressing to law students

Glimpses of Mediation Awareness Programme



DLSA SHIVPURI



DLSA CHHATARPUR



DLSA HOSHANGABAD



DLSA RAJGARH



DLSA MANDLESHWAR



DLSA NARSINGHPUR



DLSA BURHANPUR



DLSA DAMOH



DLSA DEWAS



DLSA MANDLA



DLSA BALAGHAT

News.....

आपसी विवाद को मध्यस्थता से सुलझाएं: न्यायाधीश पाटीदार

बैठक

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

पक्षकारों को मध्यस्थ पर भरोसा होना चाहिए: जिला न्यायाधीश



जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष वीरेन्द्र एस. पाटीदार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायता अधिकारी चन्द्रेश मण्डलोई के साथ बैठक कर रहे हैं।

बुरहानपुर जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष वीरेन्द्र एस. पाटीदार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायता अधिकारी चन्द्रेश मण्डलोई के साथ बैठक कर रहे हैं।

पक्षकारों को मध्यस्थ पर भरोसा होना चाहिए, जिससे वह अपने मन की बात विवाद को उनके समक्ष रख सकें। मध्यस्थता, विवादों को निपटारने की सरल एवं घाब प्रक्रिया है। विभिन्न पक्ष अपने विवाद की समस्याओं को निपटारने के लिए मध्यस्थता का उपयोग करना चाहिए।

यह बात जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार सरैया ने निवार को जिला न्यायालय में आयोजित जिला स्तरीय मीडिएशन नीटवर्क कमेटी की बैठक एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम को

प्राधिकरण, हिदायतउल्ला खान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अफजल खान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयप्रताप चिद्वार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रिजवाना कौसर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सहित अन्य मजिस्ट्रेट, विमल कुमार जैन अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ ओपी सोनी आदि मौजूद थे। सचिव नौलम मिश्रा ने बताया कि आज के सामाजिक, आर्थिक परिवेश में विषमताओं की अंतहीन श्रृंखला में समाज के हर वर्ग एवं स्तर पर असंतोष बढ़ना विवादों का कारण है। इस दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 अंतर्गत विवादों के वैकल्पिक निराकरण को प्रमुख पद्धति

है। इस बैठक में संजीव कुमार सरैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष श्रीमती नौलम मिश्रा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिदायतउल्ला खान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अफजल खान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयप्रताप चिद्वार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती रिजवाना कौसर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती मनोपा जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती गार्गी शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मोहित परसाई न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट, विमल कुमार जैन अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, ओपी सोनी जिला अधिवक्ता संघ, अधिवक्तागण एवं सत्र मजिस्ट्रेट थे।

खिलवानी में रक्तदान शिविर 17 को

खिलवानी। नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन 17 फरवरी को किया जा रहा है। इस शिविर में एक से अधिक ब्लड एकत्रित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बीएमओ डॉ. एच एन मांडरे ने बताया कि 17 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ब्लड एकत्रित किए जाने को लेकर जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों के सहयोग से शिविर आयोजित किया जा रहा है। आयोजित किए जाने वाले शिविर की सफलता को लेकर विभागीय कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ. प्रशांत व अन्य चिकित्सकों के द्वारा ब्लड एकत्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा।

मध्यस्थता जागरूकता पर हुआ कार्यक्रम

विवाद निराकरण के लिए मध्यस्थता योजना श्रेष्ठ

खण्डवा • राज न्यूज नेटवर्क

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एलडी बीरामी की अध्यक्षता में एडीआर सेक्टर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा में दिनांक 13 फरवरी को मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम सह विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री आरएस बुरहान एवं विशेष न्यायाधीश श्री पीसी अर्प विधिगत अतिथि थे।

मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम में माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष एलडी बीरामी ने कहा कि सफलता पूर्वक मध्यस्थता का कार्य करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, मीडिएटर को इतना निष्पक्ष होना चाहिए, उनके कह कि मध्यस्थता विवादों को निपटारने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है।



एकपक्षीय वातावरण में मीडिएटर को पक्षकारों के विवादों का निपटारा करना होता है। श्री बीरामी ने मध्यस्थता के संबंध में रामायण व महाभारत काल का भी वर्णन कर मध्यस्थता के संबंध में विधिक जानकारी दी गयी। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश प्रकाश चन्द अर्प द्वारा कहा कि मध्यस्थता

सदैव टोनकर के रूप में कार्य करती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कुटुम्ब न्यायालय के उक्त कार्यक्रम में प्रसिद्ध सामुदायिक मीडिएटर्स श्री जीपी बगवती, संतोष मोहन, मनोज कुमार बोरामी, श्रीमती अनीता सिंह, राखी तेंकर एवं पैरिफेरल कालेजियर्स मनोज चर्चा, द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये। उक्त कार्यक्रम में एडी जे सर्वजी श्रीमति किरण सिंह, श्री केशी मरकम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण कुमार वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण कपिल वर्मा, विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट विष्णु प्रसाद सैलकी, श्रीमति स्मरना पाट्या, सुश्री मधुलिखा मुने, सुश्री सैम्य साहू, सुश्री अल्पुषी गुप्त रहूल सोनी, सुश्री मृषि चौरसिया, अमित चावेल, मनोप सुवर्णी अन्य न्यायाधीश, सुश्री शंभू, चन्देश मण्डलोई सहित सुश्री मोना दासरी एवं कई सभ थे।

बुरहानपुर • मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार अधिवक्ता संघ हॉल जिला न्यायालय भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष वीरेन्द्र एस. पाटीदार की अध्यक्षता एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मोहन पी तिवारी के आतिथ्य में जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्तागण एवं पक्षकारों के लिए मध्यस्थता योजना पर मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/ए.डी.जे. नरेन्द्र पटेल, जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मंडलोई, अधिवक्ता संघ के सचिव सत्यनारायण वाघ एवं अधिवक्ता

'विवाद निराकरण के लिए मध्यस्थता जरूरी है'

हरिभूमि न्यूज • बुरहानपुर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष वीरेन्द्र एस. पाटीदार की अध्यक्षता एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मोहन पी तिवारी के आतिथ्य में जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्तागण एवं पक्षकारों के लिए मध्यस्थता योजना पर मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/ए.डी.जे. नरेन्द्र पटेल, जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मण्डलोई, अधिवक्ता संघ के सचिव सत्यनारायण वाघ एवं अधिवक्ता सदस्यगण एवं पक्षकारों की सहभागिता रही। वर्तमान समय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता



प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिसमें समाज के विभिन्न समुदाय अपने समाज के विवादों का निराकरण सामाजिक स्तर पर कर सकते हैं। बुरहानपुर जिले में इस योजना के अंतर्गत पासी समाज की ओर से सामुदायिक

मध्यस्थता केन्द्र स्थानीय अम्बेडकर वार्ड पासो मोहल्ले में प्रारंभ किया गया है। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव सत्यनारायण वाघ एवं पैरल लायर्स एवही खान ने भी मध्यस्थता योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया।

हरिभूमि रायसेन हरिभूमि 10

जिला न्यायालय में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



हरिभूमि न्यूज • रायसेन

जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन की अध्यक्षता में निवार की जिला न्यायालय स्थित एडीआर भवन में जिला स्तरीय मीडिएशन नीटवर्क कमेटी की बैठक एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष संजीव कुमार सरैया द्वारा बताया कि पक्षकारों को मध्यस्थता पर भरोसा होना चाहिए, जिससे वह अपने मन की बात एवं विवाद को उनके समक्ष रख सकें। मध्यस्थता विवादों को निपटारने की सरल व निष्पक्ष प्रक्रिया है। विभिन्न पक्ष अपने विवाद को अपनी दुष्टिकोण से मापते हैं। मध्यस्थता अधिकारी सहायक रहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों को निपटारा करता है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रायसेन हिदायतउल्ला खान द्वारा बताया कि मध्यस्थता से विवाद का अविलंब व सौध समाधान किया जाता है समय तथा खर्चों को बचत होती है। मध्यस्थता वाले मामले में कोई अपील या संशोधन नहीं होता, विवाद का अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है। इसी क्रम में नौलम मिश्रा

द्वारा बताया कि आज के सामाजिक, आर्थिक परिवेश में विषमताओं की अंतहीन श्रृंखला में समाज के हर वर्ग एवं स्तर पर असंतोष का उद्भव विवादों का जनक है। इस दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 अंतर्गत विवादों के वैकल्पिक निराकरण की प्रमुख पद्धति के रूप में मध्यस्थता पद्धति की सम्पूर्ण विश्व में अपनी एक पहचान स्थापित हुई है। मध्यस्थता के विकास की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यस्थता के लाभों से लोगों को अवगत कराने के लिए संपूर्ण विस्तारित किए, जिससे लोगों में मध्यस्थता योजना का प्रसार प्रसार हो सके।

इस बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष संजीव कुमार सरैया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नौलम मिश्रा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हिदायतउल्ला खान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अफजल खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयप्रताप चिद्वार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रिजवाना कौसर, मनीषा जैन, गार्गी शर्मा, मोहित परसाई, विमल कुमार जैन, ओपी सोनी जिला अधिवक्ता संघ रायसेन, मीडिएटर अधिवक्ता व पक्षकार उपस्थित थे।

त
वर
वल
देश
हल
उक
ार.
।।

Lok Adalat Programmes

Permanent and Continuous Lok Adalat through hybrid mode was scheduled on 27.02.21 at the High Court and District Court level.

Disposal at Dist. Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
7144	2161	320551527/-	4793

Preparation of National Lok Adalat dated 10.04.21



नेशनल लोक अदालत का 10 अप्रैल को

राज्य स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, क्रिमिनल, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक गारंटी प्रकरण, कुटुंब न्यायालय, ग्राम न्यायालय तथा अन्य सम्बन्ध प्रकरण के राजीनामा योग्य एवं बैंक, विद्युत, रक्षा भूमिका, दूरभाष के प्रीमियम प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

10 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, क्रिमिनल, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक गारंटी प्रकरण, कुटुंब न्यायालय, ग्राम न्यायालय तथा अन्य सम्बन्ध प्रकरण के राजीनामा योग्य एवं बैंक, विद्युत, रक्षा भूमिका, दूरभाष के प्रीमियम प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।



Success Story on Public Utility Services

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी

जिला सिवनी के डिवाइन करैक्टर पब्लिक स्कूल द्वारा दसवीं के छात्रों के टीसी के संबंध में वर्ष भर की फीस मांगी गई, जिस संबंध में छात्रों ने लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया गया। लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थाई लोक अदालत द्वारा सर्वसम्मति से स्कूल संचालक द्वारा बरती गई इस लापरवाही के संबंध में आदेश पारित किया गया।

उक्त प्रकरण में 10वीं कक्षा के छात्र शुभम सनोडिया एवं छात्र ओम कनौजिया द्वारा जानकारी दी गई थी कि वे कक्षा दसवीं के पूर्व से डिवाइन करैक्टर पब्लिक स्कूल बारापत्थर सिवनी में अध्ययनरत थे। उनके द्वारा कक्षा दसवीं का अध्ययन भी उसी स्कूल से किया तथा फीस का भुगतान भी वही किया। छात्रों ने बताया जब वे 10वीं की अंकसूची लेने डिवाइन करैक्टर पब्लिक स्कूल गए तब उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई कि डिवाइन करैक्टर पब्लिक स्कूल के पास कक्षा 9वीं एवं 10वीं की मान्यता नहीं है। इसलिए उनके द्वारा दसवीं की परीक्षा ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल डूंडासिवनी से दिलाई गई थी। उन्हें अंकसूची एवं टीसी ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल से लेने के लिए कहा गया। छात्र जब अपनी टीसी और अंकसूची लेने के लिए ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल पहुंचे तो वहां के संस्था संचालक द्वारा कक्षा दसवीं की पूरी फीस राशि 8500 रुपये की मांग की गई जबकि वे पूर्व में डिवाइन स्कूल को साल भर की फीस का भुगतान कर चुके थे।

लोक अदालत द्वारा पब्लिक स्कूल सिवनी को निर्देशित किया कि वह छात्र शुभम सनोडिया और ओम कनौजिया को शीघ्र ही उनकी मूल अंकसूची व स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करें। साथ ही ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल सिवनी को निर्देशित किया कि वह आवेदक शुभम सनोडिया एवं ओम कनौजिया के साथ परीक्षा देने वाले सभी 20 छात्रों में से जिस भी छात्र की अंकसूची व स्थानांतरण प्रमाण पत्र को छात्र द्वारा मांगने के बावजूद अवैधानिक रूप से रोक रखी है उसे पात्र छात्र को अभिलंब प्रदान करें। वही ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल सिवनी को यह भी निर्देशित किया कि वह केवल फीस अवशेष होने या वैमनस्यता के आधार पर छात्र के चरित्र के संबंध में कोई भी विपरीत टिप्पणी स्थानांतरण प्रमाण पत्र में दर्ज ना करें। साथ ही अनावेदक 1 व 2 को संयुक्ततः या पृथकतः छात्र शुभम सनोडिया एवं ओम कनौजिया में से प्रत्येक को 5000 रुपये का प्रतिकर भुगतान करें। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी को भी निर्देशित किया गया कि आवेदक छात्रों की वर्तमान शिक्षण संस्था को सूचित करें की ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति तक आवेदकों को प्रवेश शिक्षा तथा परीक्षा से वंचित न करें।

Victim Compensation Scheme

DLSA JABALPUR

Dlsa Helps in getting compensation to mother

Aplicant Laxmi Rajak, who lost her son, received compensation of Rs 2 Lakh by the District Legal Services Authority, Jabalpur under the M.P. Crime Victim Compensation Scheme 2015. Brief facts of the case are that In the Year 2016, 24 year old Rahul was murdered by the accused persons. The case was registered by police station Madan Mahal and file the chargesheet under Section 302 of IPC before the Court. The accused was convicted by the court of the Additional Sessions Judge, Jabalpur, the deceased was unmarried and her mother Lakshmi Rajak was dependent on him. She was going through financial crisis after the murder of deceased. The member of Jabalpur District Advocates Association brought her to the office of Distirict Legal Services Authority and filed an application before DLSA under MP Crime Victim Compensation Scheme 2015. After inquiry The committee awarded the compensation of Rs 2 lakh.



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास

जिला प्राधिकरण देवास द्वारा जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 30 जनवरी 2021 को जिला न्यायालय में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत हत्या, बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम, एवं एसिड हमले के पीड़ितों से संबंधित कुल 13 प्रकरणों में अपराध पीड़ितों को कुल 38,25,000/- रुपये की राशि प्रतिकर स्वरूप दिए जाने की अनुशंसा की गई।



Glimpses of Awareness Camps & Inspection in the Jails



DLSA HOSHANGABAD



DLSA DEWAS



DLSA JABALPUR



DLSA SAGAR



DLSA MANDSAUR



DLSA NARSINGHPUR



DLSA PANNA



DLSA SHIVPURI



DLSA SHEOPUR

Media News.....

जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
बंदियों को उनके अधिकार व कानूनी
अपार के बारे में किया साक्षर



जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला जेल में 14 वर्ष से अधिक सजा वाले बंदियों को उनके अधिकार व कानूनी अपार के बारे में किया साक्षर।

अंतिम सजा होने के बाद भी
खुला है माफी का विकल्प

जबलपुर | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस सेंट्रल जेल में 14 वर्ष से अधिक सजा वाले बंदियों को उनके अधिकार व कानूनी अपार के बारे में किया साक्षर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला जेल में 14 वर्ष से अधिक सजा वाले बंदियों को उनके अधिकार व कानूनी अपार के बारे में किया साक्षर।

कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता

रायसेन | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल में बंदियों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नौलम मिश्रा ने बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला या पुरुष जन्म से अपराधी नहीं होता और न ही स्वच्छा से कारागार में प्रवेश लेता है। समाज में गरीबी, अज्ञानता, भय, क्रोध व दुर्घटनात्मक परिस्थितियों के कारण व्यक्ति से अपराध घटित हो जाते हैं। प्रकरण के विचारण के लिए या सजा के कारण व्यक्तियों को कारागार में रखे जाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

कोई जन्म से अपराधी नहीं होता: मिश्रा
जिला जेल में बंदियों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित

रायसेन, 16 फरवरी। कोई जन्म से अपराधी नहीं होता। किसी कारण वश हुए अपराध के कारण बंदियों को कारागार में रखा जाता है, जिससे उनकी स्वच्छता प्रभावित हो जाती है, किंतु अन्य सभी मूल अधिकार मानव अधिकार सामान्य तौर पर उसे मूलकतः व दंडितों के साथ उपलब्ध रहने हैं। यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नौलम मिश्रा ने जिला जेल में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में कही।

दीर्घ अवधि कारावास से दंडित बंदियों को बताए उनके विधिक अधिकार



सिटी भास्कर | नरसिंहपुर

न्यायाधीश अच्युत जिला नरसिंहपुर श्रीमती आशा के निर्देशानुसार 13 फरवरी को जेल नरसिंहपुर में 14 वर्ष से अधिक दीर्घ अवधि बंदियों के विधिक जागरूकता एवं साक्षरता का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला आनन्द कारावास या 14 वर्ष से अधिक सजा वाले बंदियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोनाधार विरूद्ध द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ प्रकरण में दिए गए दिशा-निर्देशों के परिपालन में आवश्यक जानकारी प्रदान की। साथ ही दीर्घ अवधि से

दंडित बंदियों के प्रीमेचोर रिलीज के संबंध में जेल प्रशासन के साथ आवश्यक चर्चा की जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अधीन दिया गया। शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी क्विक बुखारिया, जिलाविधिक सहायता अधिकारी राजेश सक्सेना, जेल उपअधीक्षक सुभाष सागर, सहायक जेलर संतोष हरियाल एवं जेल में स्थापित एड क्लीनिक के नियुक्त बंदी पैरालीमल वॉलन्टियर उपस्थित थे।



Panch 'J'

Preserving Our Beautiful Blue Planet

A Cleanliness and Conservation Campaign on the banks of Maa Narmada

On 21.02.2021, under the guidance of Hon'ble the Patron-in-Chief & Executive Chairman, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, a Cleanliness, Conservation and Awareness Campaign was initiated cumulatively in 15 Districts of M.P. through which the river flows. The target was to commence a cleanliness and awareness operation at the " Ghats" situated on the bank of the river & also to mobilize the local residents, NGO's, Students, local bodies etc. towards maintaining the purity of the river water.

The campaign started sharp at 11:00 am in all the 15 Districts i.e, Jabalpur, Anuppur, Mandla, Dindori, Narsinghpur, Hoshangabad, Mandleshwar, Khandwa, Harda, Dewas, Raisen, Sehore, Dhar, Alirajpur and Barwani by cleaning the banks and ghats of River. Officers & officials of Legal Services Authorities, Judges of District Judiciary, Officers from Revenue department, officials from local Nagar Palika, Students of Legal Aid Clinics established under Law and other colleges and NGOs were present.

The holy River Narmada also called as Reva or Narmada is located in Madhya Pradesh & Gujarat. It would not be an exaggeration if it be called "Life line" of our state looking at its huge contribution in many ways. But due to mass bathing and chemical wastage the physicochemical analysis of river, water clearly shows that water quality is deteriorating day by day. Therefore conservation and preservation of the river becomes one of the topmost priority.

This excellent expression of optimism reminds us that even small things have mighty impact. The entire initiative was based on promoting the thought that with the intent of protection of the environment, we must create a place where the environment doesn't need protection at all.

During the said campaign, shopkeepers at "Ghaat" were advised to maintain hygiene around their shops and also make the people aware about this. Certain districts have also registered petitions under the Public Utility Services, where it has been found that institutions have been pouring their sewage and waste material

directly into the river without effective water treatment.

The Legal Services Authorities across the M.P. will review the campaign by regular monitoring of Narmada cleanliness after this campaign with help of college students from Legal Aid Clinics.



Member-Secretary flagging of the River Cleanliness Campaign



Member-Secretary SLSA along with Chairman DLSA Jabalpur and other officials cleaning Gwari Ghat Jabalpur

GLIMPSES FROM DLSAs



DLSA ALIRAJPUR



DLSA ANUPPUR



DLSA BARWANI



DLSA DHAR



DLSA DEWAS



DLSA DINDORI



DLSA HOSHANGABAD



DLSA KHANDWA



DLSA HARDA



DLSA NARSINGHPUR



DLSA MANDLA



DLSA MANDLESHWAR



DLSA SEHORE



DLSA RAISEN

Media Coverage

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-02-22 | Page-4
ehitavada.com

MPSLSA office-bearers hold cleanliness drive

■ Staff Reporter

THE Madhya Pradesh State Legal Services Authority, on Sunday, conducted cleanliness drive on the banks of river Narmada under the guidance of Chief Justice and Chief Patron of the Authority, Justice Mohammed Rafiq and Administrative Judge, Justice Prakash Shrivastava.

Senior office-bearers and members of the Authority also conducted cleanliness campaign on river banks at Anuppur, Mandla, Dindori, Narsinghpur, Hoshangabad, Mandleshwar, Khandwa, Harda, Dewas, Raisen, Sehore, Dhar, Alirajpur and Badwan from 11 am.

MPSLSA members cleaned the river banks and also created public awareness. Authority members urged people and shopkeepers to extend support in maintaining proper cleanliness at the river banks. They said as river Narmada is the lifeline of Madhya Pradesh hence it is everyone's responsibility to keep the sacred river pollution free.

MPSLSA office bearers said to ensure participation of legal fra-



Judges and members of MPSLSA conducting cleanliness drive at the bank of river Narmada in Gwahat.

ternity in the noble cause they conducted the special campaign at river banks in aforementioned cities. They said the Authority would continue the work and keep on extending support in keeping river Narmada clean.

Amongst those participated in the drive were Member Secretary

of Authority Giribala Singh, District Judge Naveen Kumar Saxena, Justice, Family Court Amitabh Mishra, Shradh Bhankar, Secretary, District Legal Services Authority, Deepak Bansal, Chief Judicial Magistrate of District Court Jabalpur Varun Panase, Municipal Corporation

Magistrate Ashish Tamara, Railway Magistrate Manjul Singh, Agasthe Verma and officers of Jabalpur Municipal Corporation, students of Legal Aid Clinics established under Law and other colleges and employees of State Authority.



'न्याय' ने किया शुचिता का आचमन न्यायाधीशों ने रेवा तट पर की सफाई

ज्वारीघाट पहुँचकर कचरा उठाया, लोगों को किया जागरूक

जबलपुर (जीवन्दाजिने) में नर्मदा का आंचलिक तट पर शुचिता का आचमन किया गया है। शुक्रवार को नर्मदा नदी के किनारे ज्वारीघाट पर नर्मदा न्यायाधीशों ने स्वच्छता अभियान किया। इस अवसर पर न्यायाधीशों ने नर्मदा नदी के किनारे कचरा इकट्ठा किया और उसे दूर फेंक दिया। इस कार्यक्रम में न्यायाधीशों के अलावा पुलिस, विद्यार्थियों और नागरिकों का सहभागित्व रहा।

'दैनिक भास्कर' ने दिया अच्छा संदेश

दैनिक भास्कर ने नर्मदा नदी के किनारे स्वच्छता अभियान का प्रतिबिम्बित चित्र प्रकाशित किया। इस चित्र में न्यायाधीशों का स्वच्छता अभियान कर रहे हुए दिख रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

समिति के सदस्य दीपक शर्मा, सौरभ शर्मा, अमित शर्मा, नगर निगम प्रमुख आशीष शर्मा, जेठवे राजेश्वर देवरा, वृद्ध वृत्त परिवार के सदस्यों के साथ नगर निगम से आ रहे कार्यकर्ता शामिल रहे।

Powered by Bharati Web Dot In

न्यायाधीशों ने लिया नर्मदा सफाई में हिस्सा घाटों से निकाली 4 किंचटल अपशिष्ट सामग्री

जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने विवेकानंद घाट पर चलाया नर्मदा स्वच्छता अभियान

आगरा प्रदेश के न्यायाधीशों की एक टीम ने नर्मदा नदी के किनारे ज्वारीघाट पर नर्मदा स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर न्यायाधीशों ने नर्मदा नदी के किनारे कचरा इकट्ठा किया और उसे दूर फेंक दिया। इस कार्यक्रम में न्यायाधीशों के अलावा पुलिस, विद्यार्थियों और नागरिकों का सहभागित्व रहा।



जिला विधि सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार चौबे ने कहा कि नर्मदा नदी का पानी हमारे पीने के पानी का स्रोत है। इसलिए हमें इस नदी को स्वच्छ रखना है।

नर्मदा स्वच्छता के लिए किया जागरूक

कारण = राज नगर

नर्मदा नदी का पानी हमारे पीने के पानी का स्रोत है। इसलिए हमें इस नदी को स्वच्छ रखना है। नर्मदा स्वच्छता अभियान के तहत जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने विवेकानंद घाट पर चलाया नर्मदा स्वच्छता अभियान। इस अवसर पर न्यायाधीशों ने नर्मदा नदी के किनारे कचरा इकट्ठा किया और उसे दूर फेंक दिया। इस कार्यक्रम में न्यायाधीशों के अलावा पुलिस, विद्यार्थियों और नागरिकों का सहभागित्व रहा।



जिला विधि सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार चौबे ने कहा कि नर्मदा नदी का पानी हमारे पीने के पानी का स्रोत है। इसलिए हमें इस नदी को स्वच्छ रखना है।

नर्मदा स्वच्छता के लिए किया जागरूक

नर्मदा नदी का पानी हमारे पीने के पानी का स्रोत है। इसलिए हमें इस नदी को स्वच्छ रखना है। नर्मदा स्वच्छता अभियान के तहत जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने विवेकानंद घाट पर चलाया नर्मदा स्वच्छता अभियान। इस अवसर पर न्यायाधीशों ने नर्मदा नदी के किनारे कचरा इकट्ठा किया और उसे दूर फेंक दिया। इस कार्यक्रम में न्यायाधीशों के अलावा पुलिस, विद्यार्थियों और नागरिकों का सहभागित्व रहा।

जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने विवेकानंद घाट पर चलाया नर्मदा स्वच्छता अभियान



होशंगाबाद (प्रदेश टाईम्स)। नर्मदा स्वच्छता अभियान के तहत जिला विधि सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में न्यायाधीशों व पैरालीगल वालेंटियर्स ने नर्मदा के विवेकानंद घाट पर स्वच्छता अभियान के तहत चार किंचटल अपशिष्ट सामग्रियाँ निकाली। जिसमें न्यायाधीशों एवं जिला प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी के मार्गदर्शन में यह एक दिवसीय स्वच्छता अभियान संपादित किया गया था। जिसमें जिला

न्यायाधीशों ने शुरू किया नर्मदा स्वच्छता अभियान!

अभिमत द्वा • अनुवाद

अपरकोट राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला न्यायाधीशों की टीम ने नर्मदा नदी के किनारे स्वच्छता अभियान शुरू किया। इस अवसर पर न्यायाधीशों ने नर्मदा नदी के किनारे कचरा इकट्ठा किया और उसे दूर फेंक दिया। इस कार्यक्रम में न्यायाधीशों के अलावा पुलिस, विद्यार्थियों और नागरिकों का सहभागित्व रहा।



कार्यक्रम की शुरुआत में नर्मदा की मुखा नदी के किनारे ज्वारीघाट पर नर्मदा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर न्यायाधीशों ने नर्मदा नदी के किनारे कचरा इकट्ठा किया और उसे दूर फेंक दिया। इस कार्यक्रम में न्यायाधीशों के अलावा पुलिस, विद्यार्थियों और नागरिकों का सहभागित्व रहा।

मुख्यालय के न्यायाधीशों प्रवेन्द्र कुमार सेन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुरेश कुमार चौबे तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, हिमांशु कौशल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजय पाठक जिला रजिस्ट्रार व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज सोनी, निशा रघुवंशी, अमोल सांघी, जिला विधिक सहायता अधिकारी सनातन सेन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स सीमा कैथवास, आलोक शर्मा, भावना विष्ट, शेरसिंह बडकुर, अंजना स्वर्णकार, रिचा शर्मा, प्रियंका तिवारी, सरस्वती मालवीय, रूपराम यादव, रीता यादव, टीकाराम गौर, रेखा सराटे, पुष्पा वर्मा, राजेंद्र सराटे, अशोक सहित नगर पालिका का सफाई अमला एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण सम्मिलित हुए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

जिला प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 25.02.2021 को शिवगंगा ग्राम गुरुकुल संस्था धरमपुरी जिला झाबुआ में "पंच-ज" अभियान अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। "पंच-ज" अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के द्वारा जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर के संतुलित पर्यावरणीय विकास की अवधारणा के आधार पर प्रकृति संरक्षण के लिये कार्य किया जा रहा है जिसमें वृक्षारोपण, नदीयों एवं तालाबों की साफ-सफाई एवं जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, पशु-पक्षियों की सुरक्षा एवं उनके तथा उनकी बीमारियों के लिये टीकाकरण/उपचार आदि प्रकृति संरक्षण के कार्यों के संबंध में शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। धरमपुरी शिवगंगा आश्रम में आस-पास के गांव के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं, आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में नालसा एवं राज्य प्राधिकरण की योजनाओं के संबंध में ब्रोशर्स का भी वितरण किया गया। उक्त शिविर में 7 महिलाएं एवं 78 पुरुष लाभांवित हुए।



शिवगंगा आश्रम धरमपुरी में पंच-ज शिविर लगाया, अपर जिला न्यायाधीश ने कहा प्रकृति के संरक्षण से ही मानव का अस्तित्व है

भास्कर सैना/झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शिवगंगा समग्र ग्राम विकास आश्रम धरमपुरी में पंच-ज जागरूकता शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम जिला जज राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में हुआ। अध्यक्षता पदश्री मोहरी शर्मा ने की।

पंच-ज अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर के संतुलित पर्यावरणीय विकास की अवधारणा के आधार पर प्रकृति संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। जिसमें वृक्षारोपण, नदीयों एवं तालाबों की साफ-सफाई एवं जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, पशु-पक्षियों की सुरक्षा एवं उनके तथा उनकी बीमारियों के लिए टीकाकरण/उपचार आदि प्रकृति संरक्षण के कार्यों के संबंध में शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। शिविर को संबोधित करते हुए अपर



शिवगंगा आश्रम पर पहुंचे अधिकारियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया।

जिला न्यायाधीश राजेश देवेलिया ने कहा मानव जीवन के अस्तित्व के लिए प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है। यदि नदी, तालाब, वृक्ष, पशु-पक्षियों पर संकट आए तो निश्चित ही मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पदश्री शर्मा ने कहा झाबुआ जिला एवं उससे आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन जल संरचनाएं एवं तालाब निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। जिससे प्रकृति संरक्षण बना रहे एवं लोगों को खेती-बाड़ी और पशुओं के लिए जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे। शिविर में नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं, आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बहादुरसिंह डामोर, नितिन धाकड़, जिला विधिक सहायता अधिकारी मुकेश कौशल मौजूद थे। संचालन राजाराम कटारा ने किया।

प्रकृति के संरक्षण से ही मानव का अस्तित्व है: देवलिया

झाबुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ की ओर से 25 फरवरी को शिवगंगा समग्र ग्राम विकास आश्रम धरमपुरी में पंच-ज जागरूकता शिविर का आयोजन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं अपर जिला जज, सचिव राजेश देवलिया के निर्देशन में तथा पदश्री मोहरी शर्मा अध्यक्ष शिवगंगा ग्राम गुरुकुल संस्था धरमपुरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पंच-ज अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण द्वारा जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर के संतुलित पर्यावरणीय विकास की अवधारणा के आधार पर प्रकृति संरक्षण के लिये कार्य किया जा रहा है जिसमें वृक्षारोपण, नदीयों एवं तालाबों की साफ-सफाई एवं जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, पशु-पक्षियों की सुरक्षा एवं उनके तथा उनकी बीमारियों के लिये टीकाकरण/उपचार आदि प्रकृति संरक्षण के कार्यों के संबंध में शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। आश्रम में आस-पास के



ग्रामवासियों संबोधित करते हुए अपर जिला न्यायाधीश देवलिया ने

कहा कि मानव जीवन के अस्तित्व के लिये प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है और यदि नदी, तालाब, वृक्ष, पशु-पक्षियों पर संकट आएगा तो निश्चित ही मानव जीवन खतरे में पड़ जायेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये पदश्री शर्मा ने कहा कि झाबुआ जिला एवं उससे आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन जल संरचनाएं एवं तालाब निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जिससे प्रकृति संरक्षण बना रहे एवं लोगों को खेती-बाड़ी और पशुओं के लिये जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध

रहे। शिविर में नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं, आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा गांव समुदाय में आपसी भाईचारे और शांति से रहने एवं अपराधों से दूर रहने को समझाया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बहादुरसिंह डामोर, नितिन धाकड़, जिला विधिक सहायता अधिकारी मुकेश कौशल उपस्थित रहे। संचालन राजाराम कटारा ने किया।

Legal Services to Children under NALSA Scheme

Visits of Child Care Institutions

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट

सचिव, जिला प्राधिकरण बालाघाट द्वारा प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के साथ सावित्री ज्योति बालिका आश्रय गृह, बालाघाट में उपस्थित होकर संस्था का निरीक्षण किया गया

एवं बालिकाओं को स्वच्छता के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। शिविर के दौरान बालिकाओं को आवश्यक कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसी प्रकार संस्था स्नेह छाया बालक आश्रय गृह में जाकर संस्था का निरीक्षण किया गया एवं बालकों को शिविर के दौरान कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम

जिला प्राधिकरण रतलाम द्वारा दिनांक 02.02.2021 बाल संप्रेषण गृह, बिरियाखेड़ी रतलाम का आकस्मिक निरीक्षण एवं तात्कालिक परिस्थितियों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

निरीक्षण में पाया गया कि बाल संप्रेषण गृह, बिरियाखेड़ी रतलाम में निरीक्षण के दौरान 16 विधि विरुद्ध बालक निरुद्ध पाये गये। निरीक्षण के दौरान सभी विधि विरुद्ध बालकों से निरीक्षण टीम द्वारा व्यक्तिगत चर्चा कर उनके प्रकरण की जानकारी, उनके निरुद्ध रहने की अवधि तथा उनके खान-पान, सुरक्षा व्यवस्था व उनकी आवश्यकताओं के संबंध में पूछताछ की गई।



Organising Camp For Children

DLSA JABALPUR

To Stop Child Trafficking Legal Awareness Programme was organised on 12 February at Khapa Guara Bargi

Prevent Marriage of children a legal literacy camp was organised on 12th February 2021 at Khapa Guara Bargi Nagar Panchayat. Audience were apprise about laws relating to child marriage, child labour, trafficking etc.



DLSA NARSINGHPUR

DLSA Narsinghpur organized a camp on 12-02-2021 at Chanakya Vidhyapeeth Narsinghpur in presence of Secretary, DLSA & District Legal Aid Officer Narsinghpur with a team of PLVs on the scheme of NALSA, Child Friendly Legal Services to Children and their Protection. During the camp Secretary has made aware to all present students about the Child Friendly Scheme & other provisions of various laws related to children & their protection specially Pocso, Domestic Voilence & Trafic rules etc. In this camp 60 particiapants were benefitted.



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन

जिला प्राधिकरण रायसेन द्वारा दिनांक 19.02.2021 को शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला रायसेन में लैंगिक अपराधों का बालकों का संरक्षण एवं नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के संबंध में एवं जे.जे एक्ट विषय पर शिविर का आयोजन किया। शिविर में शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला रायसेन प्रभारी प्राचार्य, शिक्षकगण एवं विद्यालय का समस्त स्टाॅफ उपस्थित रहा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा शिविर में छात्राओं को मैत्रीपूर्ण व्यवहार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही शिविर में उपस्थित छात्राओं को माहवारी के दौरान स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित और उन्नत साधनों की उपलब्धता के संबंध में बताया। छात्राओं को गुड टच एवं बेड टच के बारे में भी बताया। उक्तशिविर में लगभग 50 छात्राएँ उपस्थित हुईं।



Glimpses of Camps



DLSA SHIVPURI



DLSA CHHATARPUR



DLSA SHINGRAULI



DLSA BETUL

Legal Services to Senior Citizen under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

‘तेलंगाना से भटकी वृद्धा राजम्मा को पहुंचाया घर’

दिनांक 28.12.2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा की ओर से नियमित मासिक विजिट के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि एक वृद्ध महिला जो कि हिन्दी भाषा नहीं जानती है और अपना नाम व पता भी नहीं बता पा रही थी, वह भटक कर रेल से खण्डवा आ गई है और शहर में असहाय और बेबस भटक रही थी, जिसको स्थानीय समाजसेवियों की मदद से वृद्धाश्रम में आश्रय दिया। सचिव जिला प्राधिकरण द्वारा वृद्धाश्रम के अन्य वृद्धों से चर्चा करने पर जानकारी लगी कि वह वृद्धा तेलगु भाषा में कुछ बता रही है। जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा आश्रम के संचालक के समन्वय से तेलगु भाषा के जानकार व्यक्ति से सम्पर्क किया गया तथा अपने मोबाईल फोन से वृद्धा एवं तेलगु भाषी व्यक्ति से बातचीत कराई गई एवं मुख्य जानकारी प्राप्त की गई। बातचीत पर से उक्त वृद्धा का नाम श्रीमती राजम्मा पति मलय, निवासी सिरपुर, कागजनगरम्, तेलंगाना राज्य ज्ञात हुआ। वृद्धा के बारे में यह जानकारी भी पता चली कि कागजनगरम् में उसके किसी रिश्तेदार ने उसको जबरन रेल में बैठा कर वहाँ से भगा दिया था। वृद्धा को हिम्मत एवं दिलासा दिलाई गयी कि विधिक सेवा संस्था द्वारा उसे पुनः उसके घर तेलंगाना राज्य पहुंचा दिया जाएगा। वृद्धा जो कि बदहवाश एवं असहाय हो चुकी थी, उसे पुनः आशा की नई किरण मिल गई।

सीड संस्था द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के प्रबंधक द्वारा दिनांक 06.01.2021 को प्रातः 10 बजे आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर उसी दिन प्रातः 11:40 बजे की ट्रेन से वृद्धा राजम्मा को उसे अपने घर कागजनगर, मलचरियाल, राज्य तेलगाना पहुंचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा में प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव द्वारा हैदराबाद (तेलंगाना) पदस्थ न्यायिक अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त वृद्धा के घर वापसी हेतु सहयोग एवं समन्वय के लिए चर्चा की गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने आवेदन-पत्र में उल्लेखित तात्कालिक परिस्थितियों की अतिसंवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल सक्रियता के साथ बुजुर्ग महिला राजम्मा को



लगभग देढ़ घंटे बाद जाने वाली ट्रेन से भिजवाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी। उक्त के संबंध में सचिव जिला प्राधिकरण के निर्देशन में स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट एवं रेलवे चाइल्ड लाइन से समन्वय स्थापित किया गया तथा वृद्धा राजम्मा को खण्डवा से ट्रेन द्वारा तेलंगाना राज्य भेजने हेतु एक टीम तैयार की गई। उक्त टीम में रेलवे चाइल्ड लाइन, खण्डवा के कोर्डिनेटर श्री दीपक लाड़ को आदेशित किया गया तथा रेलवे न्यायालय एवं आरपीएफ से सहयोग प्राप्त किया गया। रेलवे चाइल्ड लाइन की दो मेंबर्स की टीम द्वारा वृद्धा राजम्मा को अपने संरक्षण में लेकर खण्डवा से तेलंगाना राज्य के कागजनगरम के लिए नियत समय पर रवाना हुए। लगभग 24 घंटों से अधिक की यात्रा के पश्चात् टीम मेंबर्स उक्त बुजुर्ग महिला श्रीमति राजम्मा को लेकर कागजनगर पहुंची। वहाँ आरपीएफ, स्थानीय प्रशासन की मदद से महिला राजम्मा को उसकी छोटी बहन लक्ष्मी माँ को खोजा गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाई पूर्ण कर उनके संरक्षण में उनके गांव गोलेटी, जिला असीफाबाद, तेलंगाना में सुपुर्द कर दिया गया।



वृद्ध महिला राजम्मा को रेलवे चाइल्ड लाइन ने पहुंचाया अपने घर

खण्डवा वृद्ध महिला उम्र लगभग 65 वर्ष खण्डवा स्टेशन पर उठी और अपने घर वापस जाना भूल गईं एवं उक्त महिला को कैपल तेलुगु भाषा का ही ज्ञान था और उन्हें हिन्दी नहीं आती थीए इस कारण से महिला से बात करने में काफी परेशानी आई। इस संबंध में जब रेलवे चाइल्ड लाइन खण्डवा को जानकारी लगी तो रेलवे चाइल्ड लाइन के को.ऑर्डिनेटर श्री दीपक लाड़ ने सिस्टम एग्जिक्यूटिव से उक्त जानकारी से अवगत करायाए तो उनके द्वारा निर्देशित किया कि उक्त महिला को सकुशल उनके घर भेजने संबंधी कार्यवाही करेंए इसके लिये रेलवे चाइल्ड लाइनए खण्डवा हरसंभव साहायता देगा। तत्पश्चात् जिला विधिक सेवा प्राधिकरणएखण्डवा एवं रेलवे चाइल्ड लाइनए खण्डवा के संयुक्त सहयोग से खण्डवा में बसी वृद्ध महिला राजम्मा एवं तेलुगु भाषा जानकार व्यक्ति को बुलाकर उनके घर का पता लगाया और उक्त महिला को ट्रेन के माध्यम से दिनांक 06/01/2021 को सुरक्षित घर भेजने की व्यवस्था की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान हरिओम अल्लमिया एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रशेखर रेड्डी के द्वारा रेलवे चाइल्ड लाइन खण्डवा के को.ऑर्डिनेटर श्री दीपक लाड़ के समन्वय से महिला को रेलवे चाइल्ड लाइन खण्डवा के टीम मेंबर श्री निखिल साकले एवं चालेंटर श्री सोनू रांकरले के द्वारा महिला को ट्रेन से घर भेजा गया एवं महिला को अपने घर सुरक्षित पहुंचाने में खण्डवा शहर की सामाजिक कार्यकर्ता सुशी निवेदिता तिचारी को भी आभार भूमिका रही एवं सुशी निवेदिता के द्वारा कागज मगर के लोकल एनजीओ से बात कर महिला राजम्मा के परिजन को खोजा गया और महिला से मिलवाया गया। इस प्रकार एक वृद्ध महिला जिसे हिन्दी भाषा का ज्ञान न होने के बावजूद भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं रेलवे चाइल्ड लाइनए खण्डवा के सहयोग से अपने निवास स्थान पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। इस पर उक्त वृद्ध महिला द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा द्वारा असहाय, लाचार एवं भटकी हुयी उक्त वृद्ध महिला राजम्मा को खण्डवा से उसके घर कागजनगर, तेलंगाना राज्य वापस सकुशल पहुंचा दिया गया। राजम्मा अपने परिवार के लोगों से पुनः मिल गयी तथा उसकी समस्या का निराकरण हो गया तथा समाज की मुख्यधारा से जुड़ गयी।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 11.02.2021 को ग्राम पंचायत पिटोल बड़ी एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिटोल जिला झाबुआ में वृद्धजनों एवं महिला सशक्तिकरण पर विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किया गया। उक्त शिविर में वृद्धजनों के अधिकार, नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2016, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, महिला अधिकार, मानव अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण एवं बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम में लगभग 140 पुरुष एवं 65 महिलाएं लाभांविता हुये।



जागरूकता • ग्राम पंचायत पिटोल बड़ी में हुए कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश राजेश देवलिया ने कहा वृद्धजन समाज के आभूषण, उनका सम्मान व सुरक्षा हमारा कर्तव्य

भस्कर संवाददाता | पिटोल

ग्राम पंचायत पिटोल बड़ी एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिटोल में महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम हुआ। आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में किया गया।

प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला न्यायाधीश राजेश देवलिया पिटोल बड़ी में कहा वृद्धजन हमारे समाज के आभूषण है। उनका सम्मान एवं सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा संविधान में प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों का निर्वहन आवश्यक



वरिष्ठ नागरिकों का पुष्पमाला और शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया।

है। इसके अलावा विधिक सेवाएं तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने नशा मुक्ति पर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि नशा सड़क पर सुरक्षा घटाने के साथ ही

आपराधिक प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है। अपराध मुक्त सुरक्षित वातावरण के लिए नशा मुक्ति भी जरूरी है। इस दौरान नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना-2016 अंतर्गत ग्राम

पिटोल बड़ी के 7 वरिष्ठ नागरिकों सुखनंदन, जगदीश नागर, मंडिया काका, मांगीलाल, हकला गुडिया, मंगा काका, सदाशिव नागर का शा-श्रीफल भेंटकर सम्मान किया। पंचायत में उपस्थित ग्रामीणजनों को उप निरीक्षक पुलिस यातायात झाबुआ रामसिंह मालवीय ने 32वां सड़क सुरक्षा माह अभियान के अंतर्गत यातायात के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ग्राम पंचायत पिटोल बड़ी सरपंच काना गुडिया ने आभार माना।

विद्यार्थियों को बताया शिक्षा महत्व : शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी शिविर लगाया गया। जिसमें प्रभारी

जिला शिक्षा अधिकारी ज्ञानेंद्र ओझा ने छात्राओं को शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नेहरू युवा केंद्र झाबुआ प्रीति ने छात्राओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित किया। सहायक पुलिस उपनिरीक्षक अनिता तोमर ने छात्राओं को महिला सुरक्षा के संबंध में चलाए जा रहे जागरूकता एवं सहायता योजना की विस्तार से जानकारी दी। शिविर में अधिवक्ता हरीशचंद्र खतेड़िया ने भी छात्राओं को संबोधित किया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिटोल में हुए कार्यक्रम का संचालन सहायक शिक्षक कमेश विलवाल ने किया।

नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अंतर्गत की गई अनूठी पहल

जिला प्राधिकरण श्योपुर द्वारा नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अंतर्गत नशा मुक्ति हेतु एक अनूठी पहल प्रारंभ करते हुए ग्राम नारायणपुरा, जिला श्योपुर में निवासरत व्यक्तियों को नशा से उन्मुक्त कराये जाने हेतु दिनांक 22.01.2021 को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नशा करने वाले व्यक्तियों को नशे के दुष्प्रभाव बताते हुए शपथ दिलाकर नशा छोड़ने के लिये प्रेरित किया। जिला प्राधिकरण श्योपुर के पी.एल.व्ही. की एक टीम एवं ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा नशा करने वाले लोगों को सायं 7 बजे इकट्ठा कर मंदिर लाया जा रहा है, तथा ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा श्री रामचरित मानस का पाठ सुनाया जायेगा ताकि वे लोग नशा करने की उस समयावधि में नशा न कर सकें। जिला प्राधिकरण श्योपुर द्वारा प्रारंभ की गई पहल निश्चित ही समाज के विकास में सहायक होकर प्रेरणादायक है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को उनके जिले में उक्त कार्य को नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अंतर्गत अभियान के रूप में प्रारंभ करने हेतु निर्देशित भी किया गया है।



ग्रामीणों को शपथ दिलाते हुए जिला प्राधिकरण के सचिव



ग्राम नारायण पुरा श्योपुर के ग्रामीणों से नशा मुक्त ग्राम किये जाने हेतु चर्चा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर

जिला प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा दिनांक 04.02.2021 एवं दिनांक 09.02.2021 को नशा मुक्ति पर कार्यशाला एवं शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में उपस्थिति प्रशिक्षार्थियों नशा के दुष्प्रभावों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल द्वारा विश्व कैंसर दिवस 04 फरवरी 2021 के अवसर पर बाल संप्रेक्षण गृह, बैतूल में एक विधिक साक्षरता शिविर आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचखण्ड सेवा समिति, बैतूल द्वारा प्रदाय किये गए कैंसर बीमारी में लाभकारी औषधीय पौधा लक्ष्मी तरु को बाल संप्रेक्षण गृह, परिसर में लगाये गये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल के पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा उक्त पौधे को शहर के अलग-अलग क्षेत्र में लगाये गये हैं तथा पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा आस-पास के लोगों को इस पौधे की उपयोगिता भी समझायी जा रही है।





दिव्यांगता से सचलता की ओर

कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन

आयोजन दिनांक 10.02.2021 व 11.02.2021

स्थान- शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झिंझरी जिला कटनी

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित किये गये 05 दिवसीय विशेष वृहद मेडिकल शिविर से प्रेरित होकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा जिला प्रशासन के समन्वय से दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 06.02.2021 से दिनांक 11.02.2021 तक 06 दिवसीय विशेष पंजीयन एवं परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर हेतु कटनी जिले के दिव्यांग व्यक्तियों को चिन्हित एवं पहचान किए जाने के संबंध में प्रशासन एवं रेडक्रास संस्था के सहयोग से व्यापक प्रयास किया गया।

उक्त 06 दिवसीय चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर में लगभग 2966 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। इनके लिये माप एवं आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग एवं अन्य उपकरण प्रदान किये जाने हेतु पुनः उन्हीं तहसीलों में लगभग एक माह पश्चात् (पुराने शिविर स्थल पर) शिविर का आयोजन किया जावेगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के प्रयास से मेडिकल कॉलेज जबलपुर में महावीर संस्थान जयपुर द्वारा निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु स्थाई केन्द्र की स्थापना की गई है। अतः उपरोक्त शिविर के पश्चात् भी जिन दिव्यांगजनों का पंजीयन नहीं हो पाया है, वे सीधे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की हेल्प लाइन नं. 15100 से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन कराते हुए लाभ उठा सकते हैं। शिविर में सम्मिलित होने वाले छात्रों एवं आम नागरिकों को उनकी समस्या अनुसार अलग-अलग पंक्तियों में बिठाया गया, तत्पश्चात् अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक बाधित, श्रवण बाधित व्यक्तियों के नाम दर्ज कर उनको लगाये जाने वाले कृत्रिम अंगों की माप की गयी।

शिविर के माध्यम से लाभांवित हुए व्यक्तिगण की जानकारी निम्नानुसार है :-

चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर में उपस्थित छात्रों एवं आम नागरिकों का विवरण				
क्र.	दिव्यांगता का प्रकार	चिन्हित छात्रों की संख्या	चिन्हित आम नागरिकों की संख्या	कुल
1.	दृष्टि बाधित	348	254	602
2.	श्रवण बाधित	347	125	472
3.	मानसिक बाधित	455	201	656
4.	अस्थि बाधित	547	689	1236
कुल महायोग		1697	1269	2966



Legal Services to Disaster Victims under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी

जिला प्राधिकरण सीधी द्वारा दिनांक 16.02.2021 को सीधी की तहसील रामपुर नैकिन के ग्राम पटना शारदा में यात्री बस के नहर में गिरने की हुई दुर्घटना घटित हुई, जिसमें जिला प्राधिकरण के निर्देशन में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति रामपुर नैकिन के अध्यक्ष द्वारा दुर्घटना में बचे हुई लोगों से स्वास्थ्य केन्द्र में संपर्क किया गया एवं स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन को जीवित एवं घायल व्यक्तियों की हर संभव सहायता करने के लिये निर्देशित किया गया। जिला सीधी तथा तहसील विधिक सेवा समिति चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन के पी.एल.व्ही. द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के मृतक एवं घायल व्यक्तियों के परिवारों से संपर्क किया गया, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई तथा जरूरतमंद परिवारों के राहत राशि फार्म भरवाये जाने में सहायता की गई।



Legal Services to Mentally ill and Mentally Disabled Person under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा दिनांक 17.02.2021 को जिज्ञासा समाज कल्याण पुर्नवास केन्द्र में नालसा (मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं निर्योग्य व्यक्तियों को विधिक सेवाएँ) योजना 2010 के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया।

सचिव, जिला प्राधिकरण रायसेन द्वारा शिविर में बच्चों को मैत्रीपूर्ण व्यवहार के संबंध में तथा गुड टच एवं बेड टच के बारे में जानकारी दी, साथ ही साफ-सफाई से रहने एवं पढ़ाई व चित्रकला हेतु प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क लगाने एवं साबुन से हाथ धोने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये जाने हेतु कहा गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा जिज्ञासा समाज कल्याण समिति की साफ-सफाई एवं अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया गया।



Legal Services to Labour under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 18.02.2021 को श्रम विभाग देवास के सहयोग से आयशर कंपनी औद्योगिक क्षेत्र देवास में विशेष साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस नियम 1991, इन्वार्थमेंट रिलीफ फण्ड स्कीम 2008, श्रम कानूनों, श्रमिकों के अधिकारों एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु लागू श्रम विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।



एक अनूठी पहल - थर्ड जेंडर को मिली पहचान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला प्राधिकरण रतलाम द्वारा दिनांक 08.02.2021 को थर्ड जेंडर के कल्याण हेतु कार्यालय जिला प्राधिकरण में एक बैठक सह शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा उनकी आधार कार्ड संबंधी समस्या एवं उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई एवं साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स के रूप में कार्य करने हेतु थर्ड जेंडर को आवेदन भरने हेतु सुझाव दिया गया। थर्ड जेण्डर के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा मतदाता कार्ड बनाने हेतु जिला प्राधिकरण पैरालीगल वालेंटियर्स को नियुक्त किया गया।



NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच

जिला प्राधिकरण नीमच द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिये विधिक सेवायें, योजना 2015 के अंतर्गत बांछड़ा समुदाय की बालिकाओं एवं महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में स्थान दिलाने, उनके संरक्षण, संवर्धन एवं सशक्तिकरण हेतु एनजीओ-प्रोजेक्ट मिशन मुक्ति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उल्लेखनीय है कि मालवा अंचल के नीमच, मंदसौर और रतलाम जिलों में निवास करने वाले बांछड़ा समुदाय में अपने घर की बहन बेटों से अनैतिक देह व्यापार कराने की परम्परा है। इस बदनमा दाग को मिटाने की सरकार, शासन, प्रशासन द्वारा तमाम कोशिशों की जा रही हैं किन्तु कुप्रथा, परम्परा, शौक या मजबूरी जैसे कारणों से देह व्यापार के दलदल से निकलने में सफलता हासिल नहीं हुई है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा की उपरोक्त योजना अंतर्गत बांछड़ा समाज के युवाओं में हिम्मत पैदा करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला में पिछले दो बरसों में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा देह व्यापार के दलदल में धंसने से बचाई गयी अथवा रेस्क्यू की गई अवयस्क बालिकाओं एवं उनके संरक्षकों को शामिल किया गया।

बांछड़ा समुदाय के बीच सेवा कार्यों के और बदलाव के लिए प्रयासरत एनजीओ मिशन मुक्ति कार्यक्रम के जिला समन्वयक ने समुदाय की व्यावहारिक कठिनाईओं की चर्चा की और रेस्क्यू की गई बालिकाओं को किसी भी सरकारी या प्रायवेट स्कूल में पढाई एवं फीस का सम्पूर्ण खर्च एनजीओ द्वारा वहन किये जाने की घोषणा की।

कार्यक्रम में उपस्थित इस वर्ग के प्रभावित परिवारों के सदस्यों, मुक्त हुई युवतियों, संरक्षित की गई बालिकाओं, समुदाय के लिए काम करने वाले प्रतिनिधियों, देह व्यापार से परे अच्छी शिक्षा लेकर विभिन्न सेवा से जुड़ी महिला वर्ग प्रतिभाओं से न केवल परिचय लिया गया बल्कि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर भी दिया गया। कुछ बालिकाओं ने प्रतियोगी परिक्षाओं



तो कुछ युवतियों ने पुलिस में भर्ती होकर देश सेवा करने के सपने बताये। जिला प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम में समुदाय की प्रतिभाओं को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।



protecting the principles of Gandhi said.

the main tunnel itself.

sistance and transportation in led blast to drain it.

P7

SECOND CHANCE

Prostitution to mainstream, with inspiration from judges

EXPRESS NEWS SERVICE @ Bhopal

STEPPING out of courtroom, judges in Madhya Pradesh's Neemuch district donned a new hat — that of counsellors — to help the mainstreaming of teenage tribal girls rescued from prostitution.

Pushed into the trade by their own parents, 15 Banchhada tribe girls rescued by social activists and police in 2019

and 2020 had interaction with judges led by District and Session Judge Hridesh during a workshop in Neemuch. Aged between 14 and 17 years, these girls hailed from Neemuch, Mand-saur and Ratlam.

At the workshop organised jointly on Saturday by Neemuch District Legal Services Authority and NGO Project Mission Mukti,

these girls were encouraged to take inspiration from the success attained by young women of their own tribe. The parents of the rescued girls were also present.

Flanking them were 25 young tribal women who, after being rescued and rehabilitated, have attained success in diverse professions.

"You and your parents have

to decide whether to plunge again into earning easy and quick money or replicate the feats of other girls of your own community who have since taken a different route to make careers in diverse fields, spanning from teaching to nursing and from Aanganwadi workers to police constables," Judge Hridesh told the teenagers.

The Banchhada tribe has for generations pushed its minor

girls into highway and roadside prostitution. It has been forcing girls trafficked from other states into prostitution rackets operated from *deras* (makeshift shelters) and illegal dhabas on MP-Rajasthan highway.

"It's the first time that judges have taken time out of busy schedule for helping the girls rescued from prostitution," said advocate Akash Chouhan of the Project Mission Mukti.



Empowering Women through Legal Awareness Camp



DLSA BURHANPUR



DLSA HARDA



DLSA DEWAS



News...

विधिक साक्षरता कार्यशाला में बताए महिलाओं को अधिकार

बुरहानपुर (वि.प्र.) न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबरपुर के निदेशानुसार जबरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता कार्यशाला में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया।



कार्यशाला में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया।

वन स्टाप सेंटर में विधिक साक्षरता कार्यशाला आयोजित

विधिक सेवा प्राधिकरण | बुरहानपुर

मध्य प्रदेश राज्य सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण जबरपुर के निदेशानुसार वन स्टाप सेंटर पर वन स्टाप सेंटर में विधिक साक्षरता कार्यशाला आयोजित की गई।



कार्यशाला में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया।

घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा की दी जानकारी

● आंगनवाड़ी केन्द्र में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

अनोखा तीर, हरदा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह द्वारा बुधवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।



शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं नागरिकों को घरेलू हिंसा, 125 भरण-पोषण, महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराध, मोटर वाहन अधिनियम संबंधित अधिकारों, दहेज प्रथा, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकार योजना, अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता एर सलाह योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। शिविर में मध्यस्थता योजना एवं 10 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुधा उपाध्याय, पीएलव्ही शिखा जनोरिया एवं अशोक सेजकर उपस्थित रहे।

वन स्टाप सेंटर में विधिक साक्षरता कार्यशाला आयोजित



कार्यशाला में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया।

मध्य प्रदेश राज्य सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण जबरपुर के निदेशानुसार एवं अध्यक्ष/जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वीरेंद्र एस. पाटीदार के मार्गदर्शन में सचिव/एडिजी श्री नरेंद्र पटेल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा महिलाओं से संबंधित विषय पर विधिक कार्यशाला का आयोजन वन स्टाप सेंटर, सखी केन्द्र जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में किया गया। विधिक कार्यशाला में वन स्टाप सेंटर प्रशासक श्रीमती रेखा भोंडवे, आयुष्मान योजना जिला समन्वयक स्वास्थ्य विभाग श्री संजय तिवारी, काउंसलर श्रीमती बेला तरकस, श्रीमती रजनी गड्डानी, श्रीमती मेघा भिड़े, श्रीमती आशा दलाल, पैरालीगल वॉलंटियर्स निशा कुवादे, केस वर्कर नितिन पानपाटील, अरीफ तड़वी, पिकी अहिर, शारदा मोरे, केयर टेकर ज्योति वानखेड़े, आषा

पाटील पीडित पक्षकार व आमजन के साथ-साथ जिला प्राधिकरण जिला न्यायालय के कर्मचारी लोकेश स्वामी, जयकिशोर शुक्ला उपस्थित रहे। उक्त विधिक कार्यशाला में श्रीमती रेखा भोंडवे द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों एवं महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पीडित महिलाओं की काउंसलिंग की जाती है, आश्रय, पुलिस, चिकित्सा, भोजन, आपतकालीन एवं गैर आपतकालीन सुविधा पीडित महिलाओं को दी जाती है। महिलाओं को पूर्णरूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। अपर जिला न्यायाधीश श्री नरेंद्र पटेल ने म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबरपुर द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए महिलाओं को उनके अधिकार व कानूनी समझता के बारे में बताया तथा निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी।

नवाड़ी केन्द्र क्रं. 56 वाई-28 में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन



जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा दर्शन में जिला विधिक सहायता अधिकारी सिंह द्वारा नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन पीड़ितों के लिए) विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं नागरिकों को हिंसा, 125 भरण-पोषण, महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराध, मोटर वाहन अधिनियम संबंधित अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। शिविर में मध्यस्थता योजना एवं 10 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुधा उपाध्याय, पीएलव्ही शिखा जनोरिया एवं अशोक सेजकर उपस्थित रहे।

वन स्टाप सेंटर में विधिक साक्षरता कार्यशाला का आयोजन हुआ

भारत्कर संवाददाता | बुरहानपुर

जिला अस्पताल स्थित वन स्टाप सेंटर परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिला संबंधी विषय पर कार्यशाला कराई गई। अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र एस पाटीदार के मार्गदर्शन में सचिव व एडीजे नरेंद्र पटेल ने महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान वन स्टाप सेंटर प्रशासक रेखा भोंडवे, संजय तिवारी, बेला तरकस, रजनी गड्डानी, मेघा भिड़े, आशा दलाल, निशा कुवादे, नितिन पान पाटील सहित अन्य मौजूद थे।

मध्यप्रदेश राज्य प्राधिकरण ने प्रत्येक पात्र को आयुष्मान कार्ड दिलवाने का बीड़ा उठाया

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के हर पात्र व्यक्ति तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अंतर्गत आयुष्मान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में दिनांक 15.02.2020 को समस्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारी श्री सतीश कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सपना एम. लोवंशी, एक्सिक्यूटिव ऑफीसर डॉ. अंशुल एवं अन्य अधिकारीगण के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई।

उक्त बैठक में मुख्य रूप से इस तथ्य पर चर्चा की गई कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य हेतु विशेष जागरूकता एवं सहयोग अभियान प्रारंभ करेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से शिविर, जागरूकता रैली, बैनर आदि माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावेगा।

उक्त अभियान में विधिक सेवा संस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत पैरालीगल वालेंटियर्स एवं संबद्ध गैर शासकीय संगठनों का भी सहयोग लिया जावेगा। शीघ्र ही इस अभियान की शुरुआत राज्य स्तर पर की जावेगी।





आयुष्मान कार्ड बनवाने में आई परेशानियों को दूर करने बाबत चर्चा करते हुए

2021.02.19 13:55



आयुष्मान भारत कार्ड वितरण

2021.02.19 15:11



आयुष्मान भारत योजना के संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीडियो कांफ्रेंसिंग की बैठक

मुना। आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में मध्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह द्वारा नालसा द्वारा स्वास्थ्य विभाग व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली। बैठक में श्रीमती सिंह द्वारा समस्त अधिकारियों को आयुष्मान योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए संगठित प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में आयुष्मान भारत निरामयम मध्य योजना को फावर पोइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से समझाया गया। बैठक में

मुना से प्राधिकरण सचिव एके मिश्र, सिविल सर्जन डॉ. हर्षवर्धन जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा, आयुष्मान योजना से जुड़े सतेन्द्र रघुवंशी, कुष्मोन्द मिश्रा, सतेन्द्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। जबकि जबलपुर से सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह, उप सचिव डी.के. सिंह, अरविन्द श्रीवास्तव जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतान खान, जितेन्द्र धुवे एवं भोपाल से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव व जिला विधिक सहायता अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित रहे।

बैठक - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की सदस्य सचिव ने विधिक अधिकारियों को ला बैठक

आयुष्मान योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाएं

भास्कर संवाददाता | मुना
आयुष्मान भारत योजना के संबंध में मध्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। इसमें आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह द्वारा नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015 के तहत स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से स्वास्थ्य विभाग

के अधिकारियों की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली।
उक्त बैठक में मध्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी अधिकारियों को आयुष्मान योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए संगठित प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में आयुष्मान भारत निरामयम मध्य योजना को फावर पोइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से समझाया गया।
बैठक में जिला मुना से सचिव

एके मिश्र, सिविल सर्जन डॉ. हर्षवर्धन जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा, आयुष्मान योजना से जुड़े सतेन्द्र रघुवंशी, कुष्मोन्द मिश्रा, सतेन्द्र शर्मा आदि उपस्थित रहे।
बैठक में मध्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह, उप सचिव डीके सिंह, अरविन्द श्रीवास्तव जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतान खान, जितेन्द्र धुवे एवं भोपाल से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव व जिला विधिक सहायता



Reviving Litigation Free Village Scheme 2000

The Litigation Free Village Scheme 2000 of Madhya Pradesh is now being reinvigorated and on 17.10.2020, 05 villages were inaugurated by the Hon'ble Chief Justice of India through online mode.

Through fruitful action in this direction, presently 152 village have been identified as Litigation Free across the State of Madhya Pradesh and in each of such villages, a Seva Dal has been constituted who will be responsible for effective amicable resolutions at the inception. The concerned DLSA has the responsibility of monitoring of each scheme while the SLSA issue the policy guidelines and monitoring at the State level. The villages so identified will now have legal aid clinic which will serve as hub for extending similar facilities to around 40 surrounding villages. It will be manned by 2 PLVs who will work in coordination with the Seva Dal, the District Administration has also reached out to enhance the existing facilities in the villages so that Gandhian ideal of Swaraj becomes a reality.



DLSA NARSINGHPUR

Mediation Awareness Programs were organized under Vivad Viheen Gram Yojna at Gram Panchayat Khiriya & Gursi for making a litigation free village **Awariya & Gokla** on 08.02.2021 & 16.02.2021 respectively. During Mediation Awareness Camp at Khiriya 07 grievances were resolved by the local administration during the camp & at Gursi Mediation Awareness camp 04 grievances of villagers were received, all were of revenue department, therefore all were forwarded to the Officers present from revenue department during the camp. Response from revenue department is awaited.

In both the Mediation Awareness Program Secretary DLSA, DLAO, Naib Tehsildar Kareli & Members of Vidhik Sewa Dal were present at Gram Panchayats. In both the programs Legal Aid Clinic was established and PLVs were appointed for making the village litigation free. A detailed report of proposed Vivad Viheen Gram Awariya is already been sent to MPSLSA Jabalpur for necessary consideration.



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाजापुर

तहसील विधिक सेवा समिति शुजालपुर

तहसील विधिक सेवा समिति शुजालपुर द्वारा "विवाद विहीन ग्राम योजना 2000" का क्रियान्वयन करते हुए माह तहसील शुजालपुर से 12 कि.मी. दूर स्थित ग्राम भीमपुरा को विवाद विहीन ग्राम योजना के लिए चयनित किया गया, तत्पश्चात् उक्त ग्राम के लिए स्थानीय राजस्व विभाग के सहयोग से सेवा दल का गठन किया गया तथा सेवा दल के सदस्यों से वेबिनार के माध्यम से तथा भौतिक बैठकों के माध्यम से ग्राम में लंबित विवादों की जानकारी ली गई। ग्राम में वरिष्ठ ग्रामीणजन, बुजुर्गों एवं पंचों द्वारा समय-समय पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा किसी के मध्य कोई भी विवाद होने पर पुलिस एवं न्यायालय में जाने से पूर्व ही उसका निराकरण आपसी सहमति से राजीनामा से करवा दिया जाता है। अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा ग्रामवासियों को नशा न करने संकल्प दिलाया गया।



शुजालपुर.कालापीपल.मक्सी

कोर्ट की जगह मामले राजीनामा से निपटे तो विवाद मुक्त समाज का निर्माण संभव- वेदी

भीमपुरा गांव में विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

भास्कर संवाददाता | शुजालपुर

कोर्ट की जगह मामले राजीनामा से निपटे तो विवाद मुक्त समाज का निर्माण संभव है। यह बातें न्यायाधीश रूपम वेदी ने शनिवार को भीमपुरा गांव में विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में कही।

शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपम वेदी ने उपस्थित ग्रामीणजन, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विवाद विहीन सेवा दल के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अक्टूबर 2020 में इस ग्राम का चयन विवाद विहीन ग्राम योजना के लिए किया गया और यह ग्राम विवाद विहीन होने से ग्रामीण बर्धाई के पात्र हैं। न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय भी यही चाहता है कि



भीमपुरा गांव में विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में संबोधित करते अतिथि व उपस्थितजन।

कोई भी विवाद न्यायालयों के समक्ष आने से पूर्व मध्यस्थता के जरिए राजीनामा से निपट जाए, जिससे फक्षकार विवादों से बचे रहेंगे व न्यायालयों का समय भी बचेगा। इस दौरान एसडीएम प्रकाश कस्बे एवं तहसीलदार राकेश खजूरिया ने भी ग्रामीणजन को संबोधित किया।

नशा मुक्त करवाने में सहयोग देने का संकल्प दिलाया

विधिक सेवा से राजकुमार थावानी ने नशा मुक्त करवाने में सहयोग देने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार पंकज पवैया, पटवारी रामसिंह परमार, पंचायत सचिव हेमंत

राठीड़, सरपंच रघुवीर राजपूत, स्वयंसेवी कंवरलाल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता फूलवती, खूबसिंह कुशवाहा उपस्थित थे। संचालन आत्माराम मीणा एवं प्रबंधन अशोक मीणा ने किया।

DLSA DAMOH

Legal Aid Clinic has established on 10.02.2021 in Gram Panchayat Hardua Khurd to solve the problems of villagers and provide legal information. According to the scheme of the state authority, Hardua Khurd, a village panchayat, has also been declared as a litigation-free village. In the said camp, Secretary informed about Family Dispute Resolution Center, Pocso Act, rights of tribals. District Legal Aid Officer apprised on Mediation, Dowry Prohibition Act, Domestic Violence, Rights of Women and Children. Sarpanch, Secretary, forest guards and villagers were present in the said camp.



DLSA JHABUA



DLSA SEONI

Media Coverage.....

विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर तीनों ग्रामों को विवाद विहीन बनाने ग्रामीणों को दी समझाइश

माधौपुर, ढौंगाचक व पाली को विवाद हीन ग्राम योजना में जोड़ने का तय किया लक्ष्य

भास्कर संवाददाता | गुना

ग्राम माधौपुर चक, ढौंगाचक एवं पाली में नालसा आदिवासियों के अधिकारों का आदिवासियों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं, योजना 2015 के तहत विधिक साक्षरता शिविरों को आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन जिला न्यायाधीश अध्यक्ष राजेश कुमार कोटा के निर्देशन में किया गया।

विधिक साक्षरता शिविरों में अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके मिश्र व जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, आदिवासियों के अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार व मौलिक कर्तव्य, मोटर व्हीकल एक्ट, शिक्षा का अधिकार आदि विषयों पर



विधिक साक्षरता शिविर में ग्रामीणों को संबोधित करते अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके मिश्र।

जानकारी प्रदान की। तीनों ग्रामों को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रमेश डाबर, ग्राम पंचायत डुंगासरा के सरपंच प्रतिनिधि मुनेश धाकड़, सचिव सुरेश धाकड़, सहायक उपनिरीक्षक कृपाण सिंह यादव, रोजगार सहायता अधिकारी अशोक शिवहरे, प्रधान अध्यापक मांगीलाल कुशवाह, शांतिलाल यादव, पीएलवी हेमराज वैरागी सहित ग्राम माधौपुरचक, ढौंगाचक एवं पाली के ग्रामीणजन, शिक्षक उपस्थित रहे।

बनेगा विवाद विहीन ग्राम : विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 में चयन किए जाने पर प्रक्रिया इन तीनों ग्रामों में निवास कर रहे व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद न हो तथा यदि हो तो विवाद को आपसी सुझ-बूझ, सुझाव व समझौते द्वारा निराकृत कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। जिसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा दल गठित किया जाएगा। जिसमें गांव के गुरुजी, सरपंच, पंच, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वनरक्षक, ग्राम स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी, संबन्धित ग्रामों के धानेदार, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, सचिव पंचायत, ग्राम संस्कार के प्रतिनिधि, ग्राम के दो प्रतिष्ठित स्वयंसेवी व जिला विधि सहायता अधिकारी सदस्य होंगे। इनके द्वारा उक्त विवादों का निराकरण कराए जाने का प्रयास कराया जाएगा।

विवाद-विहीन ग्राम योजना से जुड़ेगा ग्राम माधौपुर चक, ढौंगाचक व पाली, विधिक साक्षरता शिविर लगे



जागरण, गुना। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार कोटा के निर्देश पर एक ही दिन में ग्राम माधौपुरचक, ढौंगाचक एवं पाली में नालसा आदिवासियों के अधिकारों का (आदिवासियों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं), योजना 2015 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविरों को आयोजन किया गया। यह तीनों गांव अब विवाद विहीन ग्राम योजना से जुड़ेंगे। विधिक साक्षरता शिविरों में अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके मिश्र व जिला विधिक

सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, आदिवासियों के अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार व मौलिक कर्तव्य, मोटर व्हीकल एक्ट, शिक्षा का अधिकार आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उपरोक्त तीनों ग्रामों को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रमेश डाबर, ग्राम पंचायत डुंगासरा के सरपंच प्रतिनिधि मुनेश धाकड़, सचिव सुरेश धाकड़, सहायक उपनिरीक्षक कृपाण सिंह यादव, रोजगार सहायता अधिकारी अशोक शिवहरे, प्रधान अध्यापक मांगीलाल कुशवाह, शांतिलाल यादव, पीएलवी हेमराज वैरागी सहित ग्राम माधौपुरचक, ढौंगाचक एवं पाली के ग्रामीणजन, शिक्षक आदि उपस्थित रहे। उन्हें इस मौके पर जरूरी कानूनी जानकारियां दी गईं।

थाने नहीं जाएंगे तीन गांव के लोग, गांव में ही सुलझाएंगे मामले

माधौपुर चक, ढौंगाचक एवं पाली को विवाद विहीन ग्राम योजना से जोड़ने का लक्ष्य

रिपोर्टर • मणिधारी टाइम्स, गुनी

जिले के तीन गांव ऐसे होंगे, जो आने वाले समय में थाने या कोर्ट कचेरी के चक्कर नहीं लगाएंगे। बमोरी क्षेत्र के माधौपुर चक, ढौंगाचक और पाली गांव को विवाद विहीन ग्राम योजना से जोड़ने का लक्ष्य लिया है। इसके लिए बुधवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया। दरअसल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरके कोटा के निर्देश पर एक ही दिन में ग्राम माधौपुरचक, ढौंगाचक एवं पाली में आदिवासियों के अधिकारों का (आदिवासियों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविरों को आयोजन किया गया। इन शिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एके मिश्र व जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, आदिवासियों के अधिकार, संविधान



द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार व मौलिक कर्तव्य, मोटर व्हीकल एक्ट, शिक्षा का अधिकार आदि विषयों पर जानकारी दी। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विवाद विहीन ग्राम योजना 2000 से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया। इस दौरान रमेश डाबर, मुनेश धाकड़, सुरेश धाकड़, कृपाण सिंह यादव, अशोक शिवहरे, मांगीलाल कुशवाह, शांतिलाल यादव, हेमराज वैरागी आदि उपस्थित रहे।

ये है विवाद विहीन ग्राम योजना 2020

इन तीनों गांवों में निवास कर रहे व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद न हो तथा यदि हो तो विवाद को आपसी सुझ-बूझ, सुझाव व समझौते द्वारा निराकृत कराए जाने का प्रयास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित किए जाने वाले विधिक स्वयं सेवी दल द्वारा किया जाएगा। जिसमें गांव के गुरुजी, सरपंच, पंच, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वनरक्षक, ग्राम स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी, संबन्धित ग्रामों के थानेदार, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, सचिव पंचायत, ग्राम संस्कार के प्रतिनिधि, ग्राम के दो प्रतिष्ठित स्वयंसेवी व जिला विधि सहायता अधिकारी सदस्य होंगे। इनके द्वारा उक्त विवादों का निराकरण कराए जाने का प्रयास कराया जाएगा।



विधिक सहायता प्रकरणों की कॉज लिस्ट

समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सहायता प्रकरणों के संबंध में कॉज लिस्ट प्रतिदिन तैयार की जाकर सूचना पटल पर चस्पा की जाती है, ताकि विधिक सेवा से संबंधित अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण उनके प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत हो सकें।

Legal Aid Cause List, Indore Dated - 02.03.2021								
S. No.	Name of the beneficiary	Case No.	Section	Court	Legal aid Counsel	DOH	Present Stage	NDOH
1	सुनील	504 /19	307,294,506 B भादवि 25 आर्म्स एक्ट	Shri Ashutosh Shukla	श्री श्यामलाल यादव	02-03-2021	On Evidence	
2	जयेश	2649/20	49A, 34 आबकारी अधि०	Shri Rakesh Kumar Patidar	श्रीमती शैली खत्री	02-03-2021	On Evidence	
3	उजमा फातिमा	MJCR/3677/2021	घरेलु हिंसा अधिनियम २००५	Sushri Anupriya P	श्री प्रभाष कुमार जैन	02-03-2021	report	

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल
(निःशुल्क विधिक सहायता के प्रकरण)
Cause List - 02/03/2021

क्र०	नाम	विरुद्ध	अ०क्र०	न्या०प्र०क्र०	धारा	न्यायालय	अधिवक्ता	कार्यावाही विवरण
1	श्री गोकुल उर्फ पिता रामदास उर्फ निवासी जिला होशंगाबाद हाल नि० अर्जुन नगर बैतूल	शासन	4/20	4/20	457, 380 आईपीसी०	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल	श्री पंजाबराव पंवार	साक्ष्य के लिये
2	श्री राजा उर्फ किशोर प्रजापति पिता- तारन प्रजापति	शासन	393		363,323,376 आईपीसी०	श्री अपर सत्र न्यायालय बैतूल	श्री राकेश पटेल	साक्ष्य के लिये
3	श्री वासु उर्फ वस्तुलाल पिता ब्रज गोड निवासी सिमोरी खाना अस्तर	शासन	144/2020	RCT 89/2020	457,380 भादवि०	मान० मंजूषा तेलाम न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी मंसदेही	श्री महेन्द्रगिरी	आरोप तर्क
4	श्री आकाश उर्फ अक्कू पिता महेश बाघ नि० कृष्णपुरा जिला बैतूल	शासन	358/20	73/20	363,366,376 एन आईपीसी पाक्सो एक्ट	अपर जिला न्यायाधीश बैतूल	श्री रविकांत सावरकर	साक्ष्य के लिये

Training & Webinar

Training of panel advocates and PLVs through online and offline mode provided by District Legal Services Authorities



DLSA BURHANPUR



DLSA DEWAS





DLSA NEEMUCH



DLSA HOSHANGABAD



DLSA MANDLESHWAR



DLSA DEWAS



DLSA GUNA

Media News.....

पीएलव्ही का एक दिवसीय ऑनलाइन मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

गुना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स के लिए एक दिवसीय ऑनलाइन (वर्चुअल) मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला जज एके मिश्र व जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से भारत शासन द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना के संबंध में जागरूकता अभियान में पैरालीगल वालेंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि पात्र हिताग्रहियों तक योजना की पहुंच बनाने के लिये पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा क्या-क्या कार्य किये जा सकते हैं। इसके



अलावा पैरालीगल वालेंटियर्स को विवाद विहीन योजना एवं शासन द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण गुना सहित तहसील तहसील विधिक सेवा सप्ति चांचौड़ा, राघौगढ़ एवं आरोन पैरालीगल वालेंटियर्स वीरसिंह याद राजवीर यादव, विकास शर्मा, रि शर्मा, वीरेन्द्रसिंह खींची, कृपालो लोधा, गोल् बुनकर, धनपाला बागड़ी आदि ऑनलाइन उपस्थित।

उपयंत्री जनपद शिक्षा केन्द्र राघौगढ़ का एक म का मानदेय राजसात

गुना। शासकीय माध्यमिक विद्यालय मऊ विकास खण्ड राघौगढ़ में निर्माणाधीन बालक शौचालय निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन होने की शिकायत चलते उपयंत्री जनपद शिक्षा केन्द्र

प्राधिकरण : पैरालीगल वालेंटियर्स को दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण



मंडलेखर। जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में गुरुवार को एडीआर सेंटर में पैरालीगल वालेंटियर्स को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। इसमें जिला न्यायालय मंडलेखर, तहसील न्यायालय कसरवाव, महेखर, भीकनगांव, खरगोन व सनावद के वालेंटियर्स शामिल थे। कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भारतसिंह रावत ने पैरालीगल वालेंटियर्स को मॉडिफेशन व प्लेबारेनिंग, श्रम कानून, लोक अदालत,

स्थाई निरंतर लोक अदालत, लोकोपयोगी सेवा, पीडित प्रतिकर, मोटर व्हीकल एक्ट, सालसा की योजनाओं की जानकारी, विधिक साक्षरता शिविरों की जानकारी, पस्को एक्ट, बालकों से संबंधित कानून, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समिति के उद्देश्य, कार्य व प्रक्रिया के बारे में बताया। जिला विधिक सहायता अधिकारी रविन दयाल ने नालसा की योजनाएं व प्रावधान, पैरालीगल वालेंटियर के उद्देश्य, कार्य व प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में जानकारी दी।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शासकीय संप्रेक्षण गृह में आयोजित

चंचल एक्सप्रेस, गुना। जिले में नव नियुक्त किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष एवं अन्य 04 सदस्यों तथा अन्य आई.सी.पी.एस. कर्मचारियों का किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शासकीय संप्रेक्षण गृह में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिला जज एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण गुना ए.के. मिश्र ने किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में श्री मिश्र ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देते हुये जानकारी दी कि प्रशिक्षणार्थी अधिनियम का अध्ययन करें। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लें। जहां भी कठिनाई हो विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करें।



बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिया जाए। इस मौके पर यह भी जानकारी ली गई कि विधि विवादित बच्चों के प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड, देखरेख एवं संरक्षण वाले 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिकाओं के प्रकरण बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, उन बच्चों के सर्वोत्तम हित में बोर्ड एवं समिति को निर्णय लेना है। सहायक संचालक मचावि आर. वी. गोयल द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। सभी नव नियुक्त किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं प्रदान की गईं। म.प्र. शासन द्वारा गुना जिले में किशोर न्याय बोर्ड के अशासकीय सदस्य श्रीमती शर्मिष्ठा कोकाटे एवं रमेश जैन पारस की नियुक्ति की गई है। बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष पद पर श्रीमती अनुसुईया रघुवंशी एवं श्री सतीश आरोरा, श्रीमती संगीता सिंह, श्रीमती मधु शर्मा एवं श्रीमती मेघा रावत की नियुक्ति सदस्य के रूप में की गई है। प्रशिक्षण उपरांत उक्त समितियों द्वारा अपना कार्य विधिवत प्रारंभ कर दिया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम का एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शासकीय संप्रेक्षण गृह में आयोजन

रिपोर्टर • मणिधारी टाइम्स, गुना

जिले में नव नियुक्त किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष एवं अन्य 4 सदस्यों तथा अन्य आईसीपीएस कर्मचारियों का किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शासकीय संप्रेक्षण गृह में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिला जज एके मिश्र ने किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में श्री मिश्र ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देते हुये जानकारी दी कि प्रशिक्षणार्थी अधिनियम का अध्ययन करें। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लें। जहां भी कठिनाई हो विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करें। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा सभी बच्चों को निशुल्क सहायता प्राप्त करने के प्रावधानों को जानकारी भी दी गई। जिला



प्रशिक्षण में उपस्थित सदस्यगण

कार्यक्रम अधिकारी डॉ.एस. जादीन द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के सर्वोत्तम हित में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल संरक्षण समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अवगत कराया गया ताकि बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिया जाए। इस मौके पर यह भी जानकारी ली गई कि विधि विवादित बच्चों के प्रकरण किशोर न्याय

बोर्ड, देखरेख एवं संरक्षण वाले 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिकाओं के प्रकरण बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, उन बच्चों के सर्वोत्तम हित में बोर्ड एवं समिति को निर्णय लेना है। सहायक संचालक मचावि आर. वी. गोयल द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों को विस्तृत जानकारी दी गई।

सफलता की कहानियां

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल

(1) आदिवासी बाहुल्य ग्राम शाहपुर, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल में विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल एवं उससे संबद्ध उसी समुदाय के पैरालीगल वालेंटियर श्री अखिलेश सिंह के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह का नवाचार उस समुदाय में प्रारंभ करते हुए एक विधवा महिला शांति सिंह और एक विधुर पुरुष राकेश सिंह कंवर का पुनर्विवाह उनके घर वालों की सहमति से कराया जाना सुनिश्चित किया गया। वर्तमान में साथ में जीवन व्यतीत करने लगे हैं और सामुदायिक रीति-रिवाज से वैवाहिक कार्यक्रम शीघ्र सम्पन्न कराया जायेगा। इस प्रयास से सामुदाय के विधवा स्त्रियों के सामाजिक स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी।



(2) जिला शहडोल अंतर्गत ग्राम-मेहरौड़ी की समस्या ज्ञात होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीएलव्ही श्री रमेश प्रकाश पाण्डेय को सर्वे कर समस्याओं को चिन्हित करने हेतु जिला प्राधिकरण शहडोल द्वारा निर्देशित किया गया। जिस पर उनके द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रतिवेदन देते हुए मुख्यतः शहर तक सड़क की आवश्यकता एवं राशन दुकान दूर होने की सामूहिक समस्या आई। इन समस्याओं के संबंध में कलेक्टर से मीटिंग कर चर्चा की गई और उन्हें अवगत कराया गया जिसपर उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। सतत् समन्वय से ग्राम मेहरोड़ी से मुख्य मार्ग तक पहुंच के लिए सड़क निर्माण की कार्यवाही इस माह पंचायत द्वारा शुरू कर दी गई है।



DLSA ANUPPUR

On 15-02-2021, legal literacy camp was organized in village Amarkantak under NALSA (Legal services for mentally ill and disabled persons) Scheme. The attendees were made aware of the law related to Mental health act, protection & Defense available to mentally ill person under various law. Along with this, people were made aware about general law, victim compensation scheme, public utility Lok Adalat, free and competent legal assistance.

A homeless mental ill woman was walking near the temple in dirty clothes, she was rescued to the hospital with the help of police and police. She is undergoing treatment, her condition is better than before.

**जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा**

ग्राम खैगांव तहसील पुनासा जिला खण्डवा की 26 वर्षीय महिला द्वारा अपने परिवार तथा बच्चे के साथ रहने हेतु जिला प्राधिकरण खण्डवा में दिनांक 15.02.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में व्यक्त किया कि उसके विवाह को लगभग 07 वर्ष हो चुके हैं। सास-ससुर दोनों शासकीय सेवा में हैं एवं पति प्रायवेट नौकरी में हैं। उसका एक बेटा है जो कि साढ़े पांच वर्ष का है। विवाह के बाद सब ठीक-ठाक चल रहा था लेकिन पिछले कुछ माह से पति शराब का सेवन करने लगे थे, इस बात से घर में आये दिन विवाद एवं छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने लगा पत्नि द्वारा पति को शराब के सेवन से रोकने के लिए कई प्रयास किये गये किन्तु पति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तथा पति द्वारा पत्नि पर अनावश्यक शंका करने से विवाद और बढ़ गया एवं उक्त महिला मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर ससुराल छोड़कर मायके चली गई। किन्तु महिला अपना परिवार तोड़ना नहीं चाहती थी एवं पत्नि के रूप में पति के साथ ही रहना चाहती थी लेकिन पति झुकने को भी तैयार नहीं था।



जिला प्राधिकरण द्वारा दोनों पति पत्नि की कई बार काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग में पति द्वारा शराब छोड़ने एवं शंका नहीं करने का भरोसा दिया गया तथा पत्नि और बच्चे को पर्याप्त समय देने व हमेशा साथ में रखने का प्रण किया, जिस पर पत्नि भी मान गई और अपने पति के साथ ससुराल जाने को तैयार हो गई। इस प्रकार जिला प्राधिकरण के प्रयास से एक परिवार टूटने से बच गया।

Glimpses of Legal Awareness Programmes



DLSA BURHANPUR



DLSA GUNA



DLSA SEONI



DLSA BARWANI



DLSA RATLAM



DLSA SINGRAULI

विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत स्वामी विवेकानंद कॉलेज व शास.उत्तमि में लगा जागरूकता शिविर

विधिक न्यायदाता



विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत स्वामी विवेकानंद कॉलेज व शास.उत्तमि में लगा जागरूकता शिविर का उद्देश्य जनता को विधिक सेवा के बारे में जागरूक करना है।

छात्रों की फिजिकल एक्टिविटी में सुधार करना आवश्यक है: हिदायत उल्लाह

मास्टर सहायदाता/छात्र



विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत स्वामी विवेकानंद कॉलेज व शास.उत्तमि में लगा जागरूकता शिविर का उद्देश्य जनता को विधिक सेवा के बारे में जागरूक करना है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, लैंगिक दुर्व्यवहार व पाक्सो एक्ट पर आयोजित जागरूकता शिविर का आयोजन



विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत स्वामी विवेकानंद कॉलेज व शास.उत्तमि में लगा जागरूकता शिविर का उद्देश्य जनता को विधिक सेवा के बारे में जागरूक करना है।

बिना लक्ष्य के व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता

विधिक न्यायदाता



विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत स्वामी विवेकानंद कॉलेज व शास.उत्तमि में लगा जागरूकता शिविर का उद्देश्य जनता को विधिक सेवा के बारे में जागरूक करना है।

स्वामी विवेकानंद कॉलेज, पाटनदेव स्कूल में लगा जागरूकता शिविर

विधिक न्यायदाता



विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत स्वामी विवेकानंद कॉलेज व शास.उत्तमि में लगा जागरूकता शिविर का उद्देश्य जनता को विधिक सेवा के बारे में जागरूक करना है।

छात्रों की आदतों और व्यवहार में आया बड़ा बदलाव

विधिक न्यायदाता



विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत स्वामी विवेकानंद कॉलेज व शास.उत्तमि में लगा जागरूकता शिविर का उद्देश्य जनता को विधिक सेवा के बारे में जागरूक करना है।

ग्राम पंचायतों प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

विधिक न्यायदाता



विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत स्वामी विवेकानंद कॉलेज व शास.उत्तमि में लगा जागरूकता शिविर का उद्देश्य जनता को विधिक सेवा के बारे में जागरूक करना है।

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन पर प्रजापति प्रतिष्ठान

विधिक न्यायदाता



विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत स्वामी विवेकानंद कॉलेज व शास.उत्तमि में लगा जागरूकता शिविर का उद्देश्य जनता को विधिक सेवा के बारे में जागरूक करना है।

जीवन सर्वश्रेष्ठ नागरिक के रूप में बिताएं: सक्सेना

विधिक न्यायदाता



विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत स्वामी विवेकानंद कॉलेज व शास.उत्तमि में लगा जागरूकता शिविर का उद्देश्य जनता को विधिक सेवा के बारे में जागरूक करना है।



Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues
15	2

-----XXX-----

न्याय सब के लिए



ACCESS TO JUSTICE FOR ALL